[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं0 44/2017-केन्द्रीय कर(दर)

नई दिल्ली, 14 नवंबर, 2017

सा0का0नि0 (अ)-केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के उपवाक्य (ii) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 5/2017, केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28जून 2017 , जिसे सा0का0नि0 677 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II , खण्ड 3, उपखण्ड (i) मे प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"6 क	5608	डोरी, रज्जु या रस्सा के ग्रंथित जाल, जो टैक्सटाइल सामग्री के विनिर्मित मत्स्यन जाल और अन्य विनिर्मित जाल हैं
6 ख	5801	कॉरडरॉय फेब्रिक

6 ग	5806	संकीर्ण व्यूतित फेब्रिक,शीर्ष सं .5807 के माल से भिन्न ; संकीर्ण फेब्रिक, जिसमें आसंजक के माध्यम से समंजित बाना के बिना ताना है (क्सबोल्ड)"।

2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत होगी ।

[फा0 सं0.354/320/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं0 5/2017-केन्द्रीयकर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का.नि. 677(अ), तारीख 28 जून, 2017 भारतकेराजपत्र, असाधारण, भाग -।।, खंड -3, उपखंड (I) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 29/2017 केन्द्रीय कर(दर) दिनांक 22 सितम्बर, 2017, जिसे साकानि 1191 (अ) दिनांक 22 सितम्बर, 2017के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।